दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V नियम 20 के तहत सूचना

केस नं.: एलपीए 121/2025 और सी.एम. सं. 9766 और 9769/2025

डब्ल्यू.पी.(सी) 14097/2009 में आदेश दिनांक 04.10.2024 के विरुद्ध अपील

जो इस न्यायालय की माननीय एकल पीठ द्वारा पारित किया गया था

दिल्ली विकास प्राधिकरण **अपीलकर्ता**

बनाम

अवतार सिंह मनकू **प्रतिवादी**

सूचनाः

प्रतिवादी

श्री अवतार सिंह मनकू,
पुत्र श्री प्रीतम सिंह,
निवासी 52, नव विकास अपार्टमेंट,
सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

चूंकि, उपरोक्त नामित अपीलकर्ता ने 'लेटर्स पेटेंट एक्ट' के खंड X के तहत एक अपील पेश की है जिसे **18.02.2025** को और उसके बाद की अन्य तिथियों पर न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और जिस पर न्यायालय ने आपको सूचना जारी करने का आदेश दिया था।

और चूंकि, न्यायालय को इस बात का संतोषजनक प्रमाण मिल गया है कि आपको सामान्य तरीके से सूचना नहीं दी जा सकती इसलिए, आपको प्रकाशन के माध्यम से सूचना जारी की जाती है। यदि आप ऊपर बताई गई अपील और आवेदनों पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप **13.04.2026** (वास्तविक) को माननीय न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं उपस्थित होकर या इस उद्देश्य के लिए आपके द्वारा विधिवत नियुक्त किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं।

यदि उपर्युक्त तिथि को उक्त अपील के संबंध में आपकी ओर से चाहे स्वयं आपके द्वारा, आपके वकील अथवा विधि द्वारा आपकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है तो उक्त अपील और उससे संबंधित आवेदनों पर सुनवाई की आगामी तिथि के संबंध में आपको कोई और सूचना नहीं दी जाएगी और उक्त अपील की सुनवाई तथा उसका निर्णय आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय लिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मुहर के अधीन आज दिनांक **23 मार्च 2026** को जारी।

सहायक रजिस्ट्रार (सिविल–II)
कृते रजिस्ट्रार जनरल